125

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 199/2024 अनवान खेताराम वगैरा बनाम देवाराम वगैराह

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। वकील अप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण मौजा रिदूसर पटवार क्षेत्र खीपर तहसील बाटाडु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 199/10 रकबा 1.2459 हेक्टयर, खसरा संख्या 278/10 रकबा 3.4463 हेक्टयर, खसरा संख्या 282/10 रकबा 3.3331 हेक्टयर, भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जवाब पेश नहीं, पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं। अतः जवाब बंद किया जाता है। वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा बहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जा काश्त को छोड़कर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त की नेखमबंदी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रिदूसर पटवार क्षेत्र खीपर तहसील बाटाडु जिला बाडमेर के खसरा संख्या 199/10 रकबा 1.2459 हेक्टयर, खसरा संख्या 278/10 रकबा 3.4463 हेक्टयर, खसरा संख्या 282/10 रकबा 3.3331 हेक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के अनुसार) की जावे। कमीशन फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश बाटाडु के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.08.11 12:19:24 IST
Reason: Self Attested